FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर (SDO)... मुकाम...बायतु...

...रायमलसिंह...बनाम...भोगाराम...

किस्म मुकदमा...धारा 88, 188 Rt Act... नं....47... सन्...2018...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.3.18	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...खेताराम भाखर... ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा ...88, 188 R.T Act... राजस्थान काश्तकारी/~~भू राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...27.3.18... को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/03/18	वादी ~~प्रार्थी~~ वकील उपस्थित। ~~विप्रार्थी~~ प्रतिवादी संख्या-2 का सम्मन तामील शुदा प्राप्त व प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जबान दावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 बावजूद तामील अनुपस्थित न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 3.45 PM पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-2 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-2 PW-1- चन्दनसिंह पुत्र जोगाराम जाति-जाट निवासी- रामसरिया	जोगाराम चन्दनसिंह भोलाराम

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

बायतु भोपजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर व प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 - जोगाराम पुत्र श्री नारणाराम जाति- जाट निवासी- रामसरिया (बा० भोपजी) तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर तथा स्वतंत्र गवाह DW-2 - जाल्याराम पुत्र श्री धामण्डाराम जाति- मेगवाल निवासी- बायतु भोपजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के शपथ- पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी वकील और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के साक्ष्य बन्द किये जाते हैं। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई वादी वकील ने बताया की वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या- 1 के बीच पिता- पुत्र का रिश्ता है तथा उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट वादीगण के दादा खेताराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पैतृक एंव संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा- रामसरिया पटवार मण्डल- बायतु भोपजी तहसील- बायतु के खेत खसरा नम्बर- 608/395, 607/378 रकबा क्रमश: 37.17, 52.14 बीघा की आई हुई है। उक्त भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या- 1 का 1/3 हिस्सा तथा इसी हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। व टांके व नाडियाँ बनी हुई है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा खेताराम के नाम दर्ज हुई थी तथा खेताराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने एंव वादीगण का परिवार हिन्दु विधि से शासित होने से उक्त भूमि में वादीगण का हिस्सा प्रतिवादी संख्या- 1 के साथ जन्म से पैदा हो जाता है। इस कारण वादीगण अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या- 1 के साथ घोषित करने का अधिकारी है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या-1 के साथ वादीगण को सहखातेदार कास्तकार घोषित किया जावे। इसने प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत इकबालि जवाबदावा, वादी साक्ष्य के रूप में व प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ-पत्रों का अवलोकन करने व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का गहनता से अवलोकन करने के बाद उक्त भूमि पैतृक व निर्विवाद साबित होती है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मौजा- रामसरिया पटवार मण्डल- बायतु भोपजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 608/395, 607/378 रकबा क्रमशः 37.17, 52.14 बीघा की भूमि में वादीगणों को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ 2/3 हिस्से की भूमि का सहखातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। ~~तहसील्दार~~ तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। अंतिम डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

Jud/Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री हेतराम चौहान R.A.S. मुकाम बायतु

इजलास रायमलसिंह बनाम जोगाराम वगैरह

दावा बाबत रा० वाद 88 188 RTAct

मुकदमा नं. 47/18 सन् 2018

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

श्री घमण्डाराम सारण एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मौजा रामसरिया पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 608/395, 607/378 रकबा क्रमशः 37.17, 52.14 बीघा की भूमि में वादीगणों को प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ 2/3 हिस्से की भूमि का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम .... मुबलिंग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 03 20 18 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

वादीगण

1. रायमलसिंह पुत्र जोगाराम
चन्दनसिंह धतरवाल पुत्र जोगाराम
जाति- जाट निवासी- रामसरिया,
बायतु भोपजी तह० बायतु
जिला- बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जोगाराम पुत्र नारणाराम
जाति- जाट निवासी- रामसर
बायतु भोपजी तह० बायतु
जिला- बाड़मेर

2. शाखा प्रबंधक एस. बी. आई. बा

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु